भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2016

क्र. एफ 1(ए)60-15-ब-2-दो.—श्री सम्पत उपाध्याय, भा.पु.से. (परि.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मण्डलेश्वर, जिला खरगौन को दिनांक 25 जुलाई से 8 अगस्त 2016 तक, पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सम्पत उपाध्याय, भापुसे (परि.) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, मण्डलेश्वर, जिला खरगौन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सम्पत उपाध्याय, भापुसे (परि.) को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सम्पत उपाध्याय, भापुसे (परि.) उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2016

क्र. एफ 1(ए)191-91-ब-2-दो.—श्री अशोक अवस्थी, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 12 से 16 दिसम्बर तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 10, 11 दिसम्बर 2016 एवं 17, 18 दिसम्बर, 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा के तहत्, खण्ड वर्ष 2014-17 के पार्ट वर्ष 2015-16 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अण्डमान निकोबार द्वीप समूह (प्रदेश) जाने की अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

1.	श्री अशोक अवस्थी	—	स्वयं
2.	श्रीमती मंजरी अवस्थी	—	पत्नी
3.	कु. अरुषि अवस्थी	—	पुत्री
4.	कु. अतिष्या अवस्थी	—	पुत्री.

क्र. एफ 1(ए)164-94-ब-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अगस्त 2016 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त करते हुए, सुश्री सोनाली मिश्रा, भा.पु.से., पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 8 से 24 अगस्त 2016 तक सत्रह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) सुश्री सोनाली मिश्रा, भा.पु.से. की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री मकरंद देउस्कर, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर सुश्री सोनाली मिश्रा, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) सुश्री सोनाली मिश्रा, भा.पु.से., द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में सुश्री सोनाली मिश्रा, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सोनाली मिश्रा, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2016

क्र. एफ 1(ए) 4-2012-ब-2-दो.—विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 30 जून 2016 को संशोधित करते हुए, श्री निमिष अग्रवाल, भा.पु.से. पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ को स्वीकृत अवकाश के साथ दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2016

क्र. एफ 5-03-2016-अ-तेहत्तर.—राज्य शासन, एतद्द्वारा नवगठित, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के पृथक् नीति, नियम, आदेश एवं निर्देश जारी होने तक, संलग्न परिशिष्ट अनुसार वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा जारी नीति, नियम, आदेश एवं निर्देश समस्त सुसंगत नियमों आदि सहित यथा आवश्यक यथा स्थान के नाम के उल्लेख सहित विभाग (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) द्वारा अंगीकृत किये जाते हैं.

संलग्न :—उपरोक्तानुसार.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा अंगीकृत नीति, नियम, आदेश एवं निर्देशों की सूची

1. उद्योग संवर्धन नीति 2010, यथा संशोधित 2012 व 2014 तथा उनसे संबंधित समस्त आदेश व निर्देश

2. मध्यप्रदेश औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम 2015 से संबंधित समस्त आदेश व निर्देश (मध्यप्रदेश औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 का अंगीकरण विभागीय आदेश क्रमांक एफ 05-03-2016-अ-तेहत्तर, दिनांक 4 जून 2016 से किया जा चुका है).

3. अन्य.

क्र.	विषय	वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा जारी आदेश/निर्देशों का क्रमांक तथा दिनांक
(1)	(2)	(3)
1	जिलों का वर्गीकरण	एफ-20-14/05/बी-ग्यारह, दिनांक 9-6-2005
2	उद्योग विहीन विकासखण्ड	एफ-20-14/05/बी-ग्यारह, दिनांक 29-8-2011
3	जिला स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति की नोडल ऐजेन्सी.	एफ-20-32/08/बी-ग्यारह, दिनांक 13-12-2011
4	जिला स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति का गठन.	एफ-20-32/08/बी-ग्यारह, दिनांक 11-2-2009
5	जिला स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति की वित्तीय सीमा.	एफ-20-32/08/बी-ग्यारह, दिनांक 27-7-2009
6	औद्योगिक क्षेत्रों की अधिसूचना (मुख्य)	एफ-11-90/10/बी-ग्यारह, दिनांक 17-1-2012
7	लेमा गार्डन जबलपुर की अधिसूचना	एफ-11-99/07/बी-ग्यारह, दिनांक 29-3-2012
8	औद्योगिक क्षेत्र, सांवेर रोड, इन्दौर के विस्तार की अधिसूचना.	एफ-11-5/13/बी-ग्यारह, दिनांक 4-10-2013
9	औद्योगिक संस्थान, राउ, इन्दौर के विस्तार की अधिसूचना.	एफ-11-107/13/बी-ग्यारह, दिनांक 4-10-2013
10	विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं का युक्तियुक्तकरण	एफ-2-6/14/अ-ग्यारह, दिनांक 21-7-2014
11	स्वरोजगार योजनाओं के युक्तियुक्तकरण के अन्तर्गत योजनाओं की मार्गदर्शिका.	आर-1514/14/अ-ग्यारह, दिनांक 30-7-2014
12	पावरलूम उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर विद्युत् प्रदाय.	एफ-9-1/08/बी-ग्यारह, दिनांक 29-8-2011
14	लोक सेवा क्र. 20.2 परियोजना प्रतिवेदन व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में.	एफ-20-18/10/बी-ग्यारह, दिनांक 19-2-2014
15	लोक सेवा क्र. 20.3 टर्म लोन पर ब्याज अनुदान के संबंध में.	एफ-20-18/10/बी-ग्यारह, दिनांक 19-2-2014
16	एमएसएमई को म. प्र. लउनि के माध्यम से कोल वितरण प्रक्रिया.	एफ-13-3/05/अ-ग्यारह, दिनांक 4-7-2008
17	मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015.	एफ-6-14/12/अ-ग्यारह, दिनांक 28-7-2015

(1)	(2)	(3)
18	मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 का स्पष्टीकरण.	एफ-6-14/12/अ-ग्यारह, दिनांक 7-1-2016
19	मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 की प्रक्रिया.	एफ-6-14/12/अ-ग्यारह, दिनांक 10-9-2016
20	मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम, 2006.	एफ-6-12/98/अ-ग्यारह, दिनांक 10-1-2007
21	मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल का गठन.	एफ-6-12/98/अ-ग्यारह, दिनांक 10-1-2007
22	महिला उद्यमी की परिभाषा	एफ-20-20/05/बी-ग्यारह, दिनांक 24-7-2009
23	मध्यप्रदेश राज्य उद्योग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1985.	एफ (ए) 67-75/सी-ग्यारह, दिनांक 15-2-1985
24	मध्यप्रदेश राज्य उद्योग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1985 में संशोधन.	एफ (ए) 67-75/सी-ग्यारह, दिनांक 4-7-1989
25	मध्यप्रदेश राज्य उद्योग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1985 में संशोधन.	एफ 1 (1) 14/2012/सी-ग्यारह, दिनांक 28-8-2015
26	मध्यप्रदेश राज्य उद्योग (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 1985.	एफ-1 (ए) 25-83/सी-ग्यारह, दिनांक 28-9-1985
27	गोपनीय प्रतिवेदन हेतु निर्धारित चैनल	एफ 1 (1) 28-2009/सी-ग्यारह, दिनांक 20-10-2011

वित्त विभाग का समयमान आदेश :

क्र.	विषय	आदेश/निर्देश क्रमांक
(1)	(2)	(3)
1	समयमान वेतन का परिशिष्ट-2	एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24 जनवरी, 2008

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2016

क्र. एफ 16-11-2014-बी-ग्यारह.—राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उद्योग संवर्धन नीति, 2014 की कण्डिका क्रमांक 10.11 वित्तीय सहायता विशेष टेक्सटाईल पैकेज की उप कण्डिका क्रमांक 10.11.4 में "वस्त्र विनिर्माण इकाई (वस्त्र कर मुक्त उत्पाद है)-विनिर्माण इकाई द्वारा कॉटन यार्न क्रय करने पर चुकाये गये वैट के समतुल्य" के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

"वस्त्र विनिर्माण इकाई (वस्त्र कर मुक्त उत्पाद है)-विनिर्माण इकाई द्वारा कच्चा माल क्रय करने पर चुकाये गये वैट के समतुल्य".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव.

क्र. एफ 1(ए)-172-1997-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा मो. शाहिद अबसार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (प्रबंध) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 8 से 12 अगस्त 2016 तक कुल पांच दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर मो. शाहिद अबसार, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (प्रबंध) पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में मो. शाहिद अबसार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि मो. शाहिद अबसार, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्री दास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2016

फा. क्र. 2016-3297-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, श्री कैलाश सक्सेना, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, रायसेन को जिनकी जन्मतिथि 21 फरवरी 1954 है, 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर विधि विभाग नियमावली 2008 के नियम 20 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य, सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2016

क्र. एफ 10-28-2010-तेईस-योआसां.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 संशोधित अधिनियम, 1999, की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) तथा संशोधित अध्यादेश 2005 की धारा 4(1) में प्रदत्त अधिकारों के तहत नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्य को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी दो वर्ष की कालावधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाना है :—

क्र.	अशासकीय सदस्य का नाम	जिला योजना समिति
(1)	(2)	(3)
1	श्री अजय पाण्डेय	सीधी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शकीला अख्तर, अवर सचिव.

विमुक्त, घुम्मकड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ 3-5-2016-62.—राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण के विनियम—1995, की धारा 4.1 के प्रावधानांतर्गत मानीय ललिता यादव, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल को म. प्र. राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति विकास अभिकरण में अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अधिकतम 3 वर्ष अथवा आगामी आदेश तक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा ढोरे, उपसचिव.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2016

संशोधन

क्र. एफ 5-3-2016-अ-तेहत्तर.—राज्य शासन द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 16 अगस्त 2016 में संलग्न परिशिष्ट अंतर्गत सरल क्रमांक 12 एवं सरल क्रमांक 14 के मध्य कम्प्यूटर त्रुटिवश सरल क्रमांक 13 अंकित नहीं हो पाया.

(2) अतः राज्य शासन, एतद्द्वारा, सरल क्रमांक 12 एवं सरल क्रमांक 14 अंतर्गत उल्लेखित विषय के मध्य सरल क्रमांक 13 निम्न अनुसार प्रतिस्थापित किया जाता है.

क्र.	विषय	वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा जारी आदेश/निर्देशों का क्रमांक तथा दिनांक
13	लोक सेवा क्र. 20.1 गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में.	एफ-20-18-10-बी-ग्यारह, दिनांक 19 फरवरी 2014.

(3) उक्त के अतिरिक्त जारी आदेश क्रमांक एफ 5-3-2016-अ-तेहत्तर, दिनांक 16 अगस्त 2016 यथावत रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.